

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।

सचिव,
कन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रक / एन०ओ०सी० / _____ / 2011-12 दिनांक २५ अगस्त, 2011

विषय : एम०एन०बी० मेमोरियल पब्लिक स्कूल, नसीरपुर भठ, बलिया को सी०बी०एस०इ०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

नहोदय

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०इ०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपात्ति नहीं है—

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ३०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं दिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता संप्र॒ल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/कॉसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से ३०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणीतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वैतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वैतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शौल बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

7. राज्य सरकार हारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय के रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त सत्ताँ में सम्प्र सरकार के पुरानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2— उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था हारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार हारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(अधिलेश पाण्डेय)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़

पृ०स०/एन०ओ०सी०/ २०८१-८१

/2011-12 तद दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, साध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
3. शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, बलिया।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया।
6. निरीक्षक, आंग भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. प्रबन्धक, एम०एन०वी० मेगोरियल प्र०क्लिक स्कूल, नसीरपुर भठ, बलिया।
8. गार्ड फाइल।

(अधिलेश पाण्डेय)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़

*M.N.B. Memorial Public School
Nasirpur Math, Ballia (U.P.)*